न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 89/2022
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष.......... संदीप बागे ....
बनाम
द्वितीय पक्ष .... सिरिल मुण्डा ....

25.9.22

वाद की कार्रवाई थाना पालकोट अप्राथमिकी सं0 10/2022 दिनांक 11.07.2022 धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रथम पक्ष (1) संदीप बागे उम्र 45 वर्ष पे० बुधु मुण्डा सा० – सिजांग, थाना– पालकोट, जिला– गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) सिरील मुण्डा उम्र 40 वर्ष पे० लोया मुण्डा सा० – सिजांग कठरडांड, थाना – पालकोट, जिला– गुमला के बीच मौजा सिजांग खाता सं0 – 01 प्लॉट सं० – 2122 रकबा – 1.71 एकड़ जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। थाना प्रभारी पालकोट के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि यह कि उपरोक्त वाद प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध लाया गया। उपरोक्त वाद जमीन अन्तर्गत मौजा– सिजांग खाता नं० – 01 प्लॉट नं० – 2122 रकबा – 1.71 एकड़ से संबंधित है । उपरोक्त जमीन कबुलियतनामा पट्टा सं० – 1397 दिनांक– 29.07.1952 के द्वारा प्रथम पक्ष के पुर्वज पाहन मुण्डा, भुखन मुण्डा व लोड़गो मुण्डा और सुखान मुण्डा ने प्राप्त किया था और तब से प्रथम पक्ष के पुर्वज शांतिपुर्वक दखल व कब्जा में आये और दाखिल खारिज करा कर सरकार को मालगुजारी अदा करते आ रहे है। और वर्त्तमान में उनके वंशज दखल व कब्जा में आये । उक्त जमीन का जमाबन्दी जोहन मुण्डा वगैरह के नाम से दर्ज है जो प्रथम पक्ष के पुर्वज है। कबुलियतनामा पट्टा 1397 1. पाहन मुण्डा (नावल्द मृत), 2. भुखन मुण्डा (नावल्द मृत) दोनों पिता– स्व० पुना मुण्डा, 3. सुखान मुण्डा पिता – सुखराम मुण्डा (नावल्द मृत), 4. लोड़गो मुण्डा पिता– जकलु मुण्डा, जो प्रथम पक्ष के पुर्वज है उनको उक्त जमीन प्राप्त हैं । पाहन मुण्डा और सुखान मुण्डा नावल्द मृत हो गये । पाहन मुण्डा और सुखान मुण्डा नावल्द मृत हो गये और भुखन मुण्डा की मात्र एक पुत्री थी उसका कोई पुत्र नही था उसकी एक मात्र पुत्री फुटि मुण्डाईन थी जो वंशावली से स्पष्ट है।

भुखन मुण्डा
↓
फटी मण्डाईन
पुत्री (पति लोया मुण्डा)
↓
सिरिल मुण्डा
(नाती) (द्वितीय पक्ष)

लोड़गो मुण्डा की वंशावली निम्नलिखित है।

लोड़गो मुण्डा
↓
गुंगा मुण्डा — पहना मुण्डा
↓ (पहना मुण्डा)
सुखु मुण्डा — बन्धु मुण्डा — रमेश मुण्डा
↓ (बन्धु मुण्डा)
संदीप बागे
(प्रथम पक्ष)

प्रथम पक्ष जमाबन्दी रैयत पहना मुण्डा का पोता है । मुण्डा जाति में पैतृक सम्पति में पुत्री का कोई अधिकार नही होता है और द्वितीय पक्ष पुत्री के पुत्र है। ऐसी परिस्थिति में द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत जमीन पर कोई आधार नही बनता है । द्वितीय पक्ष बिना हक व सरोकार के प्रथम पक्ष के हिस्से के जमीन को हड़पना चाहते है और जबरजस्ती बलपूर्वक प्रथम पक्ष को बेदखल कर प्रश्नगत जमीन पर खेती किये है। द्वितीय पक्ष के सदस्य वाद की कार्यवाही रहते हुए जबरजस्ती प्रश्नगत जमीन पर खेती किये है। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष कभी भी प्रश्नगत जमीन को लेकर कोई भी अप्रिय घटना कर सकते है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति एवं साक्षों के आधार पर श्रीमान् से प्रार्थना है कि धारा 144 द० प्र० सं० के तहत् प्रथम पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए द्वितीय पक्ष के सदस्य के विरूद्ध स्थिर किया जाय ।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 कबुलियतनामा पट्टा की छायाप्रति।
2 सरकारी रसीद की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :-

द्वितीय पक्ष के कोई भी दाखिल लिखित जवाब एवं कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 अप्राप्त।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि वाद्गत भूमि मौजा सिजांग खाता सं0 – 01 प्लॉट सं० – 2122 रकबा – 1.71 एकड़ से संबधित है। वादगत भूमि पर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः इस वाद को बिना किसी गुण–दोष के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR
Date: 2022.11.24 12:53:13 +05:30
Location: 192.168.130.239